कार्यालय जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग।

संख्याः– **161** /सात–15 (2014–2015) दिनाँकः रूद्रप्रयागः **10** अक्टूबर, 2015

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन,राजस्व अनुभाग–1 की स्वीकृति के आधार पर जनपद रूद्रप्रयाग में रिक्त एवं वर्ष 2015 तक सम्भावित रिक्तियों की गणना करते हुए 15 अभ्यर्थियों का राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु चयन किया जाना है। चयन हेतु संलग्न निर्धारित प्रारूप पर **दिनाँक 10,नवम्बर,2015 के अपराहन् 5.00 बजे** तक निम्न अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों से केवल **पंजीकृत डाक** द्वारा आवेदन आंमत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र जिलाधिकारी कार्यालय,रूद्रप्रयाग में जमा होंगें। आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क प्राप्त न होने, शैक्षिक योग्यता एवं जाति के समर्थन में अपेक्षित प्रमाण–पत्र संलग्न न किये जाने, घोषणा पर हस्ताक्षर न करने एवं अपूर्ण आवेदन पत्र प्रेषित करने पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं अभ्यर्थन निरस्त किया जायेगा। उक्त तिथि दिनाँक **10 नवम्बर,2015 के अपराहन् 5.00 बजे** के पश्चात् प्राप्त तथा अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी)पद के प्रशिक्षण के चयन हेतु आवेदन** आवश्य लिखा होना चाहिए।

1– अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

2– पटवारी प्रशिक्षण में चयन हेतु अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01–07–2015 को 21 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक न हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े बर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य होगी।

3– अभ्यर्थी केवल एक ही पद के लिए तथा एक ही जनपद से आवेदन कर सकेगा।

4– अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

5– अभ्यर्थी का नाम प्रदेश के किसी भी जनपद के सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।(पंजीयन कार्ड की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना भी आवश्यक है)

6– आवेदन शुल्क अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रू0 150–00 एवं सामान्य/अन्य पिछड़ा बर्ग के अभ्यर्थियों हेतु रू0–300–00 के लिए बैंकड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर, जो जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग के नाम देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।

7–शारीरिक मानक/दक्षता :–

(अ) **पुरूष** अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊचाई–168 सेमी0 व **महिला** अभ्यर्थियों के लिए 152 सेमी0 अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। पुरूष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 सेमी0, जिसमें न्यूनतम 05 सेमी का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 05 सेमी0 की छूट अनुमन्य होगी। छूट हेतु पर्वतीय मूल का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। महिला अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए।

(ब) **पुरूष** अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 10 किलोमीटर और **महिला** अभ्यर्थियों को 35 मिनट में C5 किलोमीटर की दौड़ना आवश्यक होगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगें।

8– अधिमान्य अर्हताः– सीधी भर्ती के पदों पर जिन अभ्यर्थियों का संस्थान में विहित प्रशिक्षण हेतु चयन हुआ है, में अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती हेतु विहित प्रशिक्षण के लिए अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः–

(क) प्रादेशिक सेवा में कम सें कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

Raghav

(ख) नेशनल कैडेट कोर का "**बी**" अथवा "**सी**" प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।

9– **चरित्रः**– सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती से विहित प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा के लिए सर्वथा उपयुक्त हो।

10– **वैवाहिक स्थितिः**– पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों, अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

11– **शारीरिक योग्यता** :–किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसके अपने राजकीय कर्तब्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में व्यवधान की सम्भावना हो, किसी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

12– अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर अभ्यर्थी द्वारा कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगातथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

13– निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगें अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा।

14– आवेदन पत्र के साथ सभी पुष्टिकारक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिकायें एवं निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण–पत्र,सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण–पत्र,सेवायोजित द्वारा आवेदन पत्र यथा स्थान अग्रसारित,अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

15– जनपद की **रिक्तियों का विवरण निम्नवत् हैः**–

राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों की संख्या	अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा बर्ग				अनारक्षित			
	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0	कुल पद	महिला	स्व0सं0से0	भू0पू0सै0
15	–	–	–	–	01	–	–	–	04	01	–	–	10	03	–	–

Raghav/

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

आवेदन पत्र

विज्ञप्ति संख्याः–161/राज0 उप निरी0(पटवारी) चयन रूद्रप्रयाग दिनांक 10 अक्टूबर, 2015
(आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 10 नवम्बर,2015)

1–आवेदित पद का नाम–
(उम्मीदवार स्वयं लिखें)

पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ,जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

2–आवेदक का नाम– हिन्दी में–..................
अंग्रेजी में– ....

3–पिता का नाम– हिन्दी में............
अंग्रेजी में..........

4–निवास स्थान– ....
....

5–(क) जन्म तिथि–अंकों में................ शब्दों में....................
(ख)दिनाँक 01 जुलाई, 2015 को आयु.... वर्ष.... माह... दिन........

6– मूल एवं स्थाई निवास–ग्राम........ पोस्ट...... .पटवारी क्षेत्र......... तहसील.........
जनपद.................

7–पत्र व्यवहार का पता–
(पिन कोड सहित) ग्राम....................पोस्ट..................पटवारी क्षेत्र................ तहसील....
जनपद......

8–सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन संख्या...............दिनांक........... सेवा योजन कार्यालय का नाम

9–शैक्षिक योग्यता–

क्र0सं0	संस्था का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1–हाई स्कूल						
2–इन्टरमीडिएट						
3–स्नातक						
4–अन्य						

10–अभ्यर्थी यदि कोई अधिमानी अर्हता धारित करता है ?– हाँ/नहीं

11–अन्य विवरण/अधिमानी अर्हता(यदि कोई हो तो तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

12–अभ्यर्थी की श्रेणी–आरक्षित/अनारक्षित।

13– जाति–अनूसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा बर्ग/अन्य(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14–हॉरिजन्टेल आरक्षण....
महिला/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग व्यक्ति और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित

15– यदि अभ्यर्थी किसी सरकारी विभाग में सेवारत हो तो सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा। सक्षम अधिकारी का इस आशय का अनापत्ति

अग्रसारित हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी
(कार्यालय की मुहर)

प्रमाण–पत्र भी संलग्न किया जायेगा कि चयनोपरान्त अवमुक्त करने में कोई कठिनाई एवं विधिक आपत्ति नहीं होगी।

16– आवेदन शुल्क...............बैंकड्राफ्ट/पोस्टल ऑर्डर संख्या..... दिनांक.................धनराशि.......

17– (A)राष्ट्रीय खेलों में दक्षता प्राप्त–

(क) राष्ट्रीय स्तर (ख)राज्य स्तर (ग) जिला स्तर.......................................

(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(B) क्या शारीरिक दक्षता/शारीरिक मानकों में छूट चाहते हैं ?– हॉ / नहीं

(पर्वतीय क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

18–अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित स्थानों पर एवं घोषणा में यथास्थान हस्ताक्षर न किये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त समझा जायेगा।

दिनांक........

स्थान..........

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

:: **घोषणा**::

उपरोक्त आवेदन पत्र में अंकित समस्त सूचनाऐं मेरी जानकारी एवं विश्वास से सही एवं सत्य हैं। यदि आवेदन के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अपूर्ण भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण होने अथवा असत्य पाये जाने की दशा में मुझे चयन प्रक्रिया से वंचित किया जायेगा, तो इस सम्बन्ध में मेरा कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा तथा मेरा अभ्यर्थन त्रुटिपूर्ण सूचना दिये जाने के कारण निरस्त किये जाने पर सक्षम न्यायालय द्वारा भी दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान.....

दिनांक....

हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम)

प्रवेश पत्र

श्री ....पुत्र श्री ....निवासी.................................. .... ग्राम...............पटवारी वृत्त........................तहसील...........जिला............ उत्तराखण्ड को दिनांक 27 दिसम्बर,2015 को पूर्वाहन् 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक परीक्षा केन्द्र..में पटवारी के रिक्त पदों के प्रशिक्षण हेतु सम्पन्न होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा में सम्मिलित होने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

अनुक्रमांक.......................

पासपोर्ट साईज का फोटो जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हों

हस्ताक्षर

जिलाधिकारी

सीधी भर्ती से चयन परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया

1– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में **विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 नवम्बर,2015 की सांय 5.00 बजे तक ही स्वीकार किये जायेंगें।** उक्त तिथि व समय से पूर्व तथा पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन निरस्त समझे जायेंगें।

2– आवेदन पत्र के साथ ₹ 5.00 के टिकट लगे हुए आवेदक के स्वयं के पते लिखे हुए तीन लिफाफे तथा एक पोस्टकार्ड संलग्न करना आवश्यक है।

3– आवेदन पत्र में निर्धारित स्थानों पर नवीनतम पासपोर्ट साईज के फोटो चस्पा किया जायं,जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो।

4– अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र जमा करने वाले लिफाफे के ऊपर **विज्ञापन संख्या तथा राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी)पद के प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु आवेदन पत्र** अवश्य लिखा हो।

5– अभ्यर्थी केवल एक ही पद एवं एक ही जनपद में आवेदन कर सकेगा।

6– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन शुल्क के रूप में आवेदन पत्र के साथ रूपये– 150–00 तथा सामान्य जाति एवं अन्य बर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रू0–300–00 का बैंकड्राफ्ट / पोस्टलआर्डर, जो जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग के नाम देय हो, संलग्न हो ।

7– आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगें।

8– आवेदन पत्र के साथ समस्त पुष्टिकारक प्रमाण–पत्रों यथा शैक्षिक योग्यता संबंधी हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट एवं स्नातक के सत्यापित प्रमाण–पत्र एवं अंकतालिकायें, निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण–पत्र, सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण–पत्र, सेवायोजक द्वारा आवेदन पत्र यथास्थान पर अग्रसारित, अधिमान्य अर्हता यदि कोई हो तो उससे संबन्धित प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, आवेदन शुल्क संबंधी बैंकड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर एवं अतिरिक्त लिफाफे, पोस्टकार्ड संलग्नकर आवेदन पत्र दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को अपराहन् 5.00 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग के कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

9– एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र पाये जाने पर सभी आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगें।

10– अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निस्त किये जाने की दशा में अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।

11– अभ्यर्थी एक ही जनपद से आवेदन कर सकेगा।

12– आवेदक मात्र राजस्व उप निरीक्षक(पटवारी)पद के लिये ही आवेदन करें।

नोटः–पाठ्यक्रम एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला कार्यालय रूद्रप्रयाग की बेवसाईट www.rudraprayag.nic.in पर लॉग ऑन करें।

Regd No 3380/ERK
29/9/2015

महत्वपूर्ण
सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध
संख्या– 1381/XVIII(1)/2015-04/2007

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 24 सितम्बर, 2015

विषयः–राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) एवं लेखपाल के रिक्त पदों पर प्रशिक्षण के लिए चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) संशोधित सेवा नियमावली, 2015 एवं राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) सेवा नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गयी हैं, जिनकी प्रतियां सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है। उक्त नियमावलियों की व्यवस्थानुसार राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी) के कुल सृजित 1216 पद तथा राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल) के कुल सृजित 428 पदों के सापेक्ष जनपद में रिक्त पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए उक्त नियमावलियों में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार परीक्षा के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया गया हैः–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक – सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
4. अपर जिलाधिकारी (राजस्व / प्रशासन / वित्त) – सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य

2– उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों का परीक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता हैः–

1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक – सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी – सदस्य
4. जिला क्रीड़ा अधिकारी – सदस्य

3– उक्त परीक्षा हेतु निम्नवत पाठ्यक्रम निर्धारित हैः–

1. सामान्य विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, इण्टरनेट, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, भारतीय राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल एवं जनांकिकी, लोक प्रशासन, उत्तराखण्ड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखण्ड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, उत्तराखण्ड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनायें, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा एवं खेल–कूद से सम्बन्धित प्रश्न, उत्तराखण्ड राज्य का इतिहास, ऐतिहासिक, पौराणिक एवं पुरातत्व से सम्बन्धित स्थल, पर्यटन एवं धार्मिक स्थल एवं

घटनायें, लोक साहित्य, परम्परायें, रीति–रिवाज, वेश–भूषा, मेले एवं त्यौहार, लोक गायन, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र आदि। (100 प्रश्न)

2. सामान्य बुद्धिमता से सम्बन्धित शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, उसमें सादृश्यों, समानताओं तथा अन्तरों स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारण, श्रृंखला, अंकगणितीय गणना, सांख्यिकीय आलेखों एवं रेखाचित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालना व उनका निर्वचन करना तथा अन्य विश्लेषण कार्य से सम्बन्धित प्रश्न आदि। (50 प्रश्न)

3. प्रदेश की प्रचलित भाषायें व बोलियों से सम्बन्धित शब्दावली, हिन्दी भाषा के मुहावरे, वर्तनी, लोकोक्तियां, विलोम, अनेकार्थक, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि विग्रह, अलंकार, समास, प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। (50 प्रश्न)

नोटः– उक्त वस्तुनिष्ठ 200 प्रश्नों के उत्तर दिये जाने हेतु अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु **3:00 घण्टे का समय** निर्धारित किया गया है।

4— उक्त परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु समय–सारिणी निम्नानुसार निर्धारित हैः–

क्र0सं0	विषय	निर्धारित तिथि
1.	जनपदों द्वारा विज्ञापन प्रकाशन की अवधि	05 अक्टूबर, 2015 से 10 अक्टूबर, 2015 तक
2.	आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि	10 नवम्बर, 2015
3.	प्राप्त आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा की अवधि	11 नवम्बर, 2015 से 20 नवम्बर, 2015 तक
4.	प्रवेश पत्र निर्गत करने की अन्तिम तिथि	30 नवम्बर, 2015
5.	शारीरिक दक्षता परीक्षण अवधि	15 दिसम्बर, 2015 से 20 दिसम्बर, 2015 तक
6.	निर्धारित शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानकों में सफल अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की तिथि	27 दिसम्बर, 2015 (परीक्षा का समय पूर्वाहन् 10:00 बजे से अपरानह 1:00 बजे तक)
7.	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	15 जनवरी, 2016
8.	सफल घोषित अभ्यर्थियों के स्वस्थता प्रमाण पत्र व उनके समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन।	15 फरवरी, 2016
9.	प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि	01 मार्च, 2016